



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052022-235707
CG-DL-E-11052022-235707

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2075]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2022/वैशाख 20, 1944

No. 2075]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2022/VAISAKHA 20, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2022

का. आ. 2182(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् मऊ—तारीघाट नई रेलवे लाईन परियोजना 51 किमी० गाजीपुर उत्तर प्रदेश में सड़क सहित रेलवे पुल के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), गाजीपुर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और कोई जाँच, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ(3) के अनुसार धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

सारणी

मऊ – तारीघाट नई रेलवे लाईन परियोजना 51 किमी०, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में सड़क सहित रेलवे पुल की विशेष परियोजना हेतु, परिसम्पत्ति सहित अथवा परिसम्पत्ति रहित, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला—गाजीपुर,

राज्य—उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० मे)	भूमि की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गाजीपुर	गाजीपुर	अराजीबाग चकरजा	70	0०0425	कृषि भूमि/गंगा सेतू पहुँच मार्ग
2	गाजीपुर	गाजीपुर	रामपुर उर्फ झिंगुरपट्टी शहरी	207	0०0240	नवीन परती
				212	0०0158	कृषि भूमि
				214	0०0275	कृषि भूमि
3	गाजीपुर	गाजीपुर	सुखदेवपुर	27	0०0957	गंगा सेतू पंधुच मार्ग
				56	0०0925	आबादी
				योग	0०2980	

[फा. सं. W/CON/98/344/W-1]

राजीव कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2022

S.O. 2182(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989)(Hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects, Mau-Tarighat new railway line project 51 km. including rail-cum-road Bridge at Ghazipur in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Additional District Magistrate (F&R) , Ghazipur**, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds there of, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the **District Ghazipur** for the Special Railway Project namely, Mau-Tarighat new railway line project 51 km. including rail-cum-road Bridge at Ghazipur, in the State of Uttar Pradesh.

Name of District- Ghazipur,**Name of State - UttarPradesh**

Sr. No.	Tehsil	Pargana	Name of the Village	Plot No.	Area Propose for land Acquisition (in hect.)	Nature of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	Ghazipur	Ghazipur	Aarajibagh Chakraja	70	0.0425	Agricultural / Approach Road Ganga bridge
(2)	Ghazipur	Ghazipur	Rampur urf Jhingurpatti Urban	207	0.0240	Naveen Parti
				212	0.0158	Agricultural
				214	0.0275	Agricultural
(3)	Ghazipur	Ghazipur	Sukhdevpur	27	0.0957	Approach Road Ganga bridge
				56	0.0925	Aabadi
				Total	0.2980	

[F. No. W/CON/98/344/W-1]

RAJIV KUMAR, Chief Admn. Officer/Con.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2022

का.आ. 2183 (अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) दिनांक अक्टूबर 28, 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या **का.आ. 4483 (अ) दिनांक अक्टूबर 25, 2021** (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), में उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गाजीपुर में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् **मऊ—तारीघाट नई रेलवे लाईन परियोजना 51 किमी० गाजीपुर उत्तर प्रदेश में सड़क सहित रेलवे पुल** के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक प्रकाशित होने वाले दो समाचार पत्रों, हिन्दी समाचार पत्र **“दैनिक जागरण”** वाराणसी दिनांक 10.11.2021 व अंग्रेजी समाचार पत्र **“टाईम्स ऑफ इण्डिया”** लखनऊ दिनांक 10.11.2021 में प्रकाशित किया गया था।

इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में कोई भी आक्षेप, प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत, प्राप्त नहीं हुआ।

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अपर जिला अधिकारी, (वित्त एवं राजस्व), गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह

घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गाजीपुर में "मऊ-तारीघाट नई रेलवे लाईन परियोजना 51 किमी० गाजीपुर उत्तर प्रदेश में सड़क सहित रेलवे पुल" की विशेष रेल परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम — गाजीपुर

राज्य — उत्तर प्रदेश

क्र० सं०	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मे)	भू-स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	गाजीपुर	चकफेज	निजी	कृषि	78	0०0260	तनवीर अहमद पुत्र याकूब अहमद
		अराजीबाग चकरजा	निजी	कृषि	70	0.0436	राजेन्द्र कुमार पुत्र अविनाश चन्द्र अग्रवाल व विजय कुमार, विनय कुमार पुत्रगण नवनीत प्रसाद व अनिल कुमार, सुनील कुमार, प्रदीप कुमार पुत्रगण नन्द जी व ध्रुवजी अग्रवाल, गोपालजी, लालजी, गिरजाप्रसाद, भरत जी अग्रवाल पुत्रगण मदनमोहन व अमरनाथ अग्रवाल, त्रिभुवननाथ अग्रवाल पुत्रगण गोरखनाथ व शान्ती देवी पत्नी गोरखनाथ व शिवशंकर पुत्र रंगछोर दास व शंशाक अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र कुमार अग्रवाल व कलावती देवी पत्नी पतिराम कुशवाहा व उषा देवी पत्नी मोहन प्रसाद चौधरी व सीमा यादव पत्नी सर्वेश कुमार यादव व राजाराम सिंह यादव पुत्र रमाशंकर यादव व बिद्यार्थी देवी पत्नी रामबचन गुप्ता व सविता देवी पत्नी श्रवण कुमार अग्रहरी व रीता देवी पत्नी रामकृपाल चौधरी व मीना देवी पत्नी कमलेश कुमार व बसन्ती गुप्ता पत्नी कृष्णा प्रसाद गुप्ता व सुशीला देवी पत्नी रामअवध सिंह यादव व मीरा देवी पत्नी शिवकुमार यादव व रीमा देवी पत्नी पप्पू व ललिता देवी उर्फ लाली पत्नी होमचरन सिंह यादव व मीना देवी पत्नी प्रेमचन्दगुप्ता व सत्यनारायण सिंह यादव पुत्र नौबत सिंह यादव व शिशिर अग्रवाल पुत्र सुनील कुमार अग्रवाल व विजयन्ति देवी पत्नी रामराज सिंह यादव व सविता देवी पत्नी श्रवण कुमार अग्रहरी व संजू देवी पत्नी सत्यदेव यादव व प्रीति कुशवाहा पत्नी गोपाल जी कुशवाहा व निर्मला देवी पत्नी रामबली यादव व अमृतामौर्या पत्नी सन्तोष कुमार कुशवाहा व कृष्णावती पत्नी ज्ञानचन्द्र व उषा गुप्ता पत्नी मुनीब गुप्ता व गीता देवी पत्नी फूलेश्वर सिंह यादव व यशोदा वर्मा पत्नी लल्लू वर्मा व मधु जयसवाल पत्नी राजेश जयसवाल व शुभम तिवारी पुत्र ओमकारनाथ तिवारी व गीता देवी पत्नी

							सुरेन्द्र चौधरी व सरोज वर्मा पत्नी लोकनाथ वर्मा व कैकयी देवी पत्नी विरेन्द्र व नीलम देवी पत्नी राजू राम रावत व चम्पा देवी पत्नी दशरथ राम व रामसुरत यादव पुत्र कैलाश यादव व सत्यम अग्रवाल पुत्र प्रमोद कुमार अग्रवाल व अनूप कुमार गर्ग पुत्र स्व० सुदर्शन गर्ग व अक्षय जयसवाल पुत्र स्व० अनिल कुमार जयसवाल व कमलेश सिंह पुत्र स्व० बलदेव सिंह व राजेश सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह व लौगी देवी पत्नी अवधेश यादव व सीमा देवी पत्नी राजेश कुमार मदनवाल व रुचि गुप्ता पुत्री कमलेश कुमार गुप्ता व बैजनाथ वर्मा पुत्र गोपाल जी वर्मा व गोपाल जी गुप्ता पुत्र नगीना गुप्ता व असलम अंसारी पुत्र मौ० लुकमान अंसारी
2	जमांनिया	सोनवल	निजी	कृषि	275	0.0050	(क) समसुद्दीन पुत्र हनीफ व मुख्तार, वकील पुत्रगण सुबहान व जैबुना पत्नी सुबहान व साहबजादे राइनी, मु० डबलू राइनी पुत्रगण इस्लाम राइनी व जोहरा राइनी पत्नी इस्लाम राइनी व इसमाइल, इसराइल, आसिक पुत्रगण इद्रीश व शेर मुहम्मद, समसेर पुत्रगण नूर मुहम्मद व कोरेसा बीबी पत्नी स्व० मौ० जहूर मौ० व शकुर मुहम्मद पुत्र मियां व जैबुन बीबी पत्नी स्व० शेर मुहम्मद व नसीम आयु 16 वर्ष, समीम आयु 11 वर्ष अव्यस्क पुत्रगण युसूफ सं० शाहजहां बीबी (माता) व शाहजहां बीबी पत्नी स्व० यूसुफ
			निजी	कृषि			(ख) समसुद्दीन, इसमाल, इसराइल, आसिक पुत्रगण इद्रीश व नसीम आयु 16 वर्ष, समीम आयु 11 वर्ष अव्यस्क पुत्रगण युसूफ सं० शाहजहां बीबी (माता) व शाहजहां बीबी पत्नी स्व० यूसुफ व साहबजादे राइनी, मु० डबलू राइनी पुत्रगण इस्लाम राइनी व जोहरा राईनी पत्नी इस्लाम राइनी
			योग			0.0746	

[फा. सं. W/CON/98/344/W-1]

राजीव कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2022

S.O. 2183(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railway (Railway Board), **S.O. No 4483(E)** dated 25th October, 2021 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub Section (ii) on dated 28nd October, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (i) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter

referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance and operation of the Special Railway Project **Mau-Tarighat New Railway line Project 51 Km. Railway bridge with road** in the District Ghazipur in the State of Uttar Pradesh;

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily Hindi newspaper “**Dainik Jagran**” Varansi dated 10.11.2021 & English newspaper “**Times of India**” Lucknow dated 10.11.2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, not a single objection received in the office of Competent Authority in prescribed period of 30 days from the publication in newspaper.

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate, (Finance & Revenue), Ghazipur, Uttar Pradesh and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose.

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Mau-Tarighat New Railway line 51 Km Railway bridge with Road.

District – Ghazipur

State – Uttar Pradesh

Serial No.	Name of the Tehsil	Name of the Village	Type of Land	Nature of Land	Survey No.	Area in Hectares	Name of The Land owner/interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	Ghazipur	Chakfaiz	Pvt.	Ag.	78	0.0260	Tanveer Ahmad s/o Yakub Ahmad
		Aaragibagh Chakraja	Pvt.	Ag.	70	0.0436	Rajendra Kumar s/o Avinash Chandra Agarwal & Vijay Kumar, Vinay Kumar ss/o Navneet Prasad & Anil Kumar, Sunil Kumar, Pradeep Kumar ss/o Nand ji & Dhuravji Agarwal, Gopal ji, Lalji, Girjaprasad, Bharat ji Agarwal ss/o Madanmohan & Amarnath Agarwal, Tribhuwannath Agarwal ss/o Gorakhnath & Shanti Devi w/o Gorakhnath & Shivshankar s/o Rangchordas & Shashank Agarwal s/o Rajendra Kumar Agarwal & Kalawati Devi w/o Patiram Kushwaha & Usha Devi w/o Mohan Prasad Chaudhary & Seema Yadav w/o Sarvesh Kumar Yadav & Rajaram Singh Yadav s/o Ramashankar Yadav & Bidhyarthi Devi w/o Rambachan Gupta & Savita w/o Sarvan Kumar Agarhari & Rita Devi w/o Ramkirpal Chaudhary & Meena Devi w/o Kamlesh Kumar & Basanti Gupta

							w/o Krishna Prasad Gupta & Sushila Devi w/o Ramawadh Singh Yadav & Meera Devi w/o Shivkumar Yadav & Reema Devi w/o Pappu & Lalita Devi urf Laali w/o Homcharan Sing Yadav & Meena Devi w/o Premchand Gupta & Satyanarayan Sing Yadav s/o Naubath Singh Yadav & Shishir Agarwal s/o Sunil Kumar Agarwal & Vijanyanti Devi w/o Ramraj Singh Yadav & Savita Devi w/o Sarvan Kumar Agarhari & Sanju Devi w/o Satyadev Yadav & Preeti Kushwaha w/o Gopal ji Kushwaha & Nirmala Devi w/o Rambali Yadav & Amrata Maurya w/o Santosh Kumar Kushwaha & Krishnawati w/o Gyanchand & Usha Gupta w/o Muneeb Gupta & Gita Devi w/o Phuleshwar Singh Yadav & Yashoda Verma w/o Lallu Verma & Madhu Jaysawal w/o Rajesh Jaysawal & Shubham Tiwari s/o Omkarnath Tiwari & Gita Devi w/o Surendra Chaudhary & Saroj Verma w/o Loknath Verma & Kakai Devi w/o Virendra & Neelam Devi w/o Raju Ram & Ramsurat Yadav s/o Kailash Yadav & Satyam Agarwal s/o Pramod Kumar Agarwal & Anup Kumar Garg s/o Late Sudershan Garg & Akshay Jaysawal s/o Late Anil Kumar Jaysawal & Kamelesh Sing s/o Late Baldev Sing & Rajesh Singh s/o Lal Bahadur Sing & Logi Devi w/o Awdhesh Yadav & Seema Devi w/o Rajesh Kumar Madanwal & Ruchi Gupta d/o Kamlesh Kumar Gupta & Baijnath Verma s/o Gopal ji Verma & Gopal ji Gupta s/o Nageena Gupta & Aslam Ansari s/o Mo. Lukman Ansari
2	Zamania	Sonwal	Pvt.	Ag.	275	0.0050	(A) Samshuddeen s/o Haneef & Mukhtar, Vakeel ss/o Subhan & Jaibuna w/o Subhan & Sahabjade Raine, Mu. Dablu Raine ss/o Islam Raine & Johra Raine w/o Islam Raine & Ismile, Isrile, Asik s/o Idresh & Sher Muhammad, Samser ss/o Noor Muhamad & Koresa w/o Late Mo. Jahur Mo. & Shakur Mu. s/o Miyan & Jaibun Bibi w/o Late Sher Mu. & Naseem age 16 years, Sameem age 11 years minor ss/o Yusuf Gardian Shahjahan Bivi (Mother) & Shajhan Bibi (Mother) & Shajha Bivi w/o Late Yusuf

			Pvt.	Ag.		(B) Samsudden, Ismal, Israile, Aasik ss/o Idrish & Naseem age 16 years, Sameem age 11 years minor ss/o Yusuf Gardian Shajhan Bibi (Mother) & Shajhan Bibi w/o Late Yusuf & Sahabjade Raine, Mu. Dablu Raine ss/o Islam Raine & Johra Raine w/o Islam Rainî
			Total		0.0746	

[F. No. W/CON/98/344/W-1]

RAJIV KUMAR, Chief Admn. Officer/Con.